## कार्यवाही विवरण

दिनांक 24.04.2023 को समय दोपहर 12:00 बजे प्रबंध संचालक सह आयुक्त मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्षता में संभागीय संयुक्त संचालकों एवं तकनीकी संभाग के कार्यपालन यंत्रियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यालय के समस्त अपर संचालक, संयुक्त संचालक, उप संचालक, सहायक संचालक एवं संभागीय संयुक्त संचालक एवं तकनीकी संभाग के कार्यपालन यंत्री उपस्थित रहे, बैठक में निम्नानुसार बिंदुओं पर चर्चा की गई व आवश्यक निर्देश दिये गये :-

## 1- <u>तकनीकी कार्य/निर्माण कार्यो की समीक्षा</u>

(1) **तकनीकी संभाग भोपाल क्रमांक-1 :-** तकनीकी संभाग अंतर्गत विलम्ब से चल रहे माइनर ब्रिज उद्यानिकी विभाग कोठार निर्माण कार्य, कृषि अनुसंधान एवं अधोसंरचना विकास निधि से चल रहा है, की दिनांक 30.04.2023 तक पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये, जिस पर कार्यपालन यंत्री द्वारा उक्त तिथि तक निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने का आश्वासन दिया गया, शेष कार्यों की प्रगति संतोष जनक है।

**(2) तकनीकी संभाग भोपाल क्रमांक-2 :-** तकनीकी संभाग अंतर्गत 04 निर्माण कार्य प्रगतिरत है, जिसमें तीन निर्माण कार्य समयावधि में चल रहे है। शेष एक निर्माण कार्य जो बोर्डनिधि से विलम्ब से प्रगतिरत है। कार्यपालन यंत्री द्वारा निर्माण स्थल पर पानी सीपेज के कारण कार्य में विलम्ब हुआ बताया गया, जिसके अनुसार निर्माण शीघ्र पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये ।

**(3) तकनीकी संभाग नर्मदापुरम :-** तकनीकी संभाग अंतर्गत कुल 23 निर्माण कार्य प्रगतिरत है, जिसमें से 06 कार्य विलम्ब से चल रहे है, जिन्हें कार्यपालन यंत्री द्वारा स्व-वित्तीय योजना अंतर्गत चल रहे पांच निर्माण कार्य माह मई-2023 तक पूर्ण करा लिया जायेगा, का आश्वासन दिया गया, शेष एक निर्माण कार्य कर्मचारी आवास बानापुरा का निर्माण कार्य जून-2023 तक पूर्ण कराने का आश्वासन दिया गया, साथ ही जानकारी अनुसार निर्माण कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति में समानता होनी चाहिए, जो नहीं है, के संबंध में समय-सीमा में भुगतान सुनिश्चित करे।

**(4) तकनीकी संभाग उज्जैन :-** तकनीकी संभाग अंतर्गत 26 निर्माण कार्यों में से 16 कार्य पूर्ण बताये गये, शेष निर्माण कार्य समयावधि में चल रहे है, जिन्हें समयावधि में ही पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।

**(5) तकनीकी संभाग मंदसौर :-** तकनीकी संभाग अंतर्गत प्रगतिरत 12 निर्माण कार्यों को समयावधि में पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये। कार्यपालन यंत्री समयावधि में निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

**(6) तकनीकी संभाग जबलपुर** :- तकनीकी संभाग अंतर्गत प्रगतिरत 12 निर्माण कार्यो में से 08 निर्माण कार्य विलम्ब से चल रहे है, जिसमें से 03 निर्माण कार्य जो स्थाई निधि अंतर्गत है, वह माह मई-2023 में पूर्ण कराये जाने का आश्वासन कार्यपालन यंत्री द्वारा दिया गया, शेष एक निर्माण निर्माण कार्य जो स्थाई निधि के अंतर्गत मंडी प्रांगण गोरखपुर में चल रहा है उससे संबंधित फर्म/ठेकेदार द्वारा माह मई-2023 में पूर्ण नही किये जाने पर अनुबंधकर्ता अधिकारी को अनुबंध समाप्त किये जाने हेतु लिखा गया है। शेष चार निर्माण कार्य जो डिपोजिट निधि अन्तर्गत प्रगतिरत है, जिसमें से दो कार्य माह जून-2023 तक एवं शेष दो कार्य जो अतिक्रमण आदि से विलम्ब हुआ है, उन्हें शीघ्र प्रारम्भ कराये जाने एवं पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये ।

**(7) तकनीकी संभाग सिवनी** :-तकनीकी संभाग अंतर्गत कोई निर्माण कार्य प्रगतिरत नहीं है।

**(8) तकनीकी संभाग इन्दौर** :- तकनीकी संभाग अन्तर्गत समयावधि में चल रहे 10 निर्माण कार्यो में से 01 निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। कार्यपालन यंत्री द्वारा किसान सड़क निधि अंतर्गत 05 निर्माणकार्यो में से 03 कार्य माह मई-2023 तक पूर्ण कराये जाने का आश्वासन दिया गया। शेष 04 निर्माण कार्य माह जून-2023 तक पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये ।

**(9) तकनीकी संभाग खरगोन** :- तकनीकी संभाग अंतर्गत प्रगतिरत 09 निर्माण कार्यों में से एक निर्माणाधीन कार्य जो डिपोजिट मद अंतर्गत पैक हाऊस सनावद जो विलम्ब से चल रहा है, उसे माह मई-2023 तक पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये ।

**(10) तकनीकी संभाग ग्वालियर**:- तकनीकी संभाग अंतर्गत एक निर्माण कार्य जो फल-सब्जी मंडी प्रांगण दतिया की बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य विलम्ब से चल रहा है। कार्यपालन यंत्री द्वारा बताया गया कि क्रेसर साइड की सीमा का सीमांकन कराया जाकर निर्माण कार्य को शीघ्र ही पूर्ण करा लिया जावेगा।

**(11) तकनीकी संभाग मुरैना** :-तकनीकी संभाग अंतर्गत प्रगतिरत 12 निर्माण कार्यों में से 10 कार्य विलम्ब से चल रहे है, जिनमें से 08 कार्य किसान सड़क निधि अंतर्गत पुनरीक्षित स्वीकृति हेतु प्रकरण प्रचलन में है जिसे शीघ्र पुनरीक्षित स्वीकृति हेतु तुलनात्मक अनुमानक एवं ड्राइंग-डिजाईन सहित प्रस्तुत करें एवं एक कार्य स्व-वित्तीय योजना अंतर्गत अतिक्रमण के कारण विलंब से चल रहा है जिसे निराकरण कर आगामी शेष निर्माण कार्यो को पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये।

**(12) सागर** :- तकनीकी संभाग अंतर्गत मंडी निधि से स्वीकृत कव्हर्ड ऑक्शन प्लेटफार्म निर्माण कार्य जो कि विलम्ब से चल रहा है उसे माह मई-2023 तक पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये, जिस पर कार्यपालन यंत्री द्वारा माह मई-2023 में पूर्ण कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

(13) **रीवा:-** तकनीकी संभाग अंतर्गत स्व-वित्तीय योजना अंतर्गत 08 वर्षों के विलम्ब से चल रहे निर्माण कार्य को अनुबंध अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही करते हुए, शीघ्र ही पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये। अधोसंरचना निधि में कृषि/उद्यानिकी विभाग का कार्य जो विभाग द्वारा निरस्त किया गया है, परीक्षण कर वस्तुस्थिति 03 दिवस में प्रस्तुत करें।

**2- 2023-24 की निर्माण कार्ययोजना एवं निर्माण कार्यों के संबंध में आवश्यक निर्देश :-**

- मंडी प्रांगण में आवश्यकतानुसार ही कृषक विश्राम गृह का निर्माण कार्य प्रस्तावित किया जावे।
- मुख्यालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 1598 दिनांक 05.10.2018 अनुसार निर्माण कार्यों की मरम्मत के लिए मंडी समिति बजट में राशि का प्रावधान करना सुनिश्चित करें, जिन मंडी समितियों के सचिवों ने मरम्मत राशि हेतु निर्धारित प्रावधान अनुसार बजट में प्रावधान नहीं किया है उनके नाम संयुक्त संचालक/उपसंचालक दिनांक 04.05.2023 तक आवश्यक रूप से मुख्यालय भेजें। इन सभी मंडियो में मरम्मत हेतु आवश्यक प्रावधान करें।
- जिन मंडी समिति में अधोसंरचना की मरम्मत हेतु पर्याप्त निधि उपलब्ध नहीं है वे अपने प्रस्ताव संयुक्त/उपसंचालक एवं कार्यपालन यंत्री के संयुक्त परीक्षण उपरांत अपने स्पष्ट अभिमत सहित निर्धारित जानकारी/प्रतिवेदन सहित प्रस्ताव दिनांक 30-05-2023 तक आवश्यक रूप से भेजना सुनिश्चित करें।
- मंडी समिति वर्ष 2023-24 हेतु कार्य योजना पिछली 03 वार्षिक कार्य योजना अनुसार कार्यों की संख्या एवं लागत राशि, स्वीकृत कार्यों की संख्या एवं लागत राशि तथा व्यय राशि की तुलनात्मक स्थिति को दर्शाते हुए एक माह अर्थात मई-2023 तक आवश्यक रूप से तैयार करें :-

G 27/04/23

| गत 04 वित्तीय वर्षों में कराये गये निर्माण कार्यों का विवरण | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | | 2020-21 | | 2021-22 | | 2022-23 | |
| स्वी. राशि | व्यय राशि | स्वी. राशि | व्यय राशि | स्वी. राशि | व्यय राशि | स्वी. राशि | व्यय राशि |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| | | | | | | | |

| वित्तीय वर्ष 2023-24 की कार्ययोजना का विवरण | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कुल प्रस्तावित कार्यों की संख्या | कुल अनुमानित लागत राशि | किसान सडक निधि/बोर्ड निधि से प्रस्तावित कार्यों की राशि | मंडी निधि से प्रस्तावित कार्यों की राशि | स्थाई निधि से प्रस्तावित कार्यों की राशि | कृषि अनुसंधान एवं अधोसंरचना विकास निधि से प्रस्तावित कार्यों की राशि | अन्य निधि से प्रस्तावित कार्यों की राशि |
| 9 | 10 | 10-A | 10-B | 10-C | 10-D | 10-E |

- मंडी प्रांगण के विकास एवं अधोसंरचना निर्माण के साथ मंडी प्रांगण में आने वाले वाहनों की संख्या को देखते हुए पर्याप्त पार्किंग स्थल का ले-आउट में प्रावधान सुनिश्चित किया जावे।
- मंडी प्रांगण के आस-पास रिक्त शासकीय भूमि पर अतिक्रमण हो तो उसे स्थानीय प्रशासन से सम्पर्क स्थापित कर अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही उपरांत उस भूमि पर भी पार्किंग व्यवस्था की जा सकती है।
- निर्यात संबंधी नीति के तहत मंडी प्रांगण के क्षेत्रफल का 20% तक क्षेत्रफल उक्त हेतु सुरक्षित रखा जावे।
- मंडी प्रांगण में ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज एवं अन्य के लिये भूमि सुरक्षित रखने के बाद ही गोडाउन शॉप प्रस्तावित करें।
- मंडी प्रांगणों से अतिक्रमण हटाने हेतु प्रभावी कार्यवाही कर अतिक्रमण हटाना सुनिश्चित करें।
- जिन पुराने मंडी प्रांगणों में अतिक्रमण होने की संभावना है या अतिक्रमण है वहां पर व्यवसायिक दुकाने बनाये जाने हेतु प्रस्ताव संयुक्त संचालक/ उपसंचालक एवं कार्यपालन यंत्री परीक्षण कर मय समस्त जानकारी के सहित भेजना सुनिश्चित करें।
- नवीन मंडी प्रांगण/ अतिरिक्त मंडी प्रांगण/उपमंडी प्रांगण हेतु भूमि प्राप्त किये जाने हेतु आवश्यकतानुसार ही प्रस्ताव मुख्यालय प्रेषित करे, मुख्यालय से अनुमोदन उपरांत ही आगामी कार्यवाही की जावे।
- तकनीकी संभागों अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों का कार्यपालन यंत्री सप्ताह में न्यूनतम तीन/चार दिन प्रभावी निरीक्षण कर निर्माण कार्य की गुणवत्ता पूर्वक निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।
- बेड़िया मंडी प्रांगण में जिन कार्यों की निविदाएं आमंत्रित की गई है उनकी उपयोगिता के संबंध में संयुक्त संचालक एवं कार्यपालन यंत्री संयुक्त रूप से निर्माण कार्यों की उपयोगिता के संबंध में प्रतिवेदन स्पष्ट अभिमत सहित दि0 04.05.23 तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। तब तक बेड़िया मंडी प्रांगण से संबंधित निविदाओं को न खोला जावे।

G.
27/04/23

- सनावद मंडी प्रांगण में प्रगतिरत अनार पैक हाऊस के संचालन हेतु निविदा प्राप्ति के अनुमोदन की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये गये ।
- मंडी प्रांगणों में अनावश्यक अनुपयोगी कार्यों का निर्माण नहीं कराया जावे।
- जबलपुर मंडी के नवीन मंडी प्रांगण/मंडी स्थानांतरण के संबंध में संयुक्त संचालक, मंडी बोर्ड आंचलिक कार्यालय जबलपुर एवं कार्यपालन यंत्री मंडी बोर्ड तकनीकी संभाग जबलपुर को भूमि उपयुक्तता के संबंध में शीघ्र कार्यवाही करने के सुनिश्चित करें।

- मंडी प्रांगण अभिन्यास अनुमोदन के प्रकरणों में अनावश्यक रूप से गोडाउन एवं सेन्ड्री शॉप का प्रस्ताव भेजा जा रहा है, प्रस्ताव भेजने के पूर्व प्रसंस्करण एवं निर्यात के लिये पर्याप्त स्थान आरक्षित किया जावे। मंडी में व्यापार की मात्रा, सक्रिय व्यापारियों की संख्या आदि का विश्लेषण करने के बाद ही गोदाम का प्रस्ताव रखे। अनावश्यक रूप से अक्रियाशील मंडी प्रांगणों में गोदाम प्रस्तावित न करें।

**वार्षिक कार्य योजना :-**

मंडियो के लिये वित्तीय वर्ष 2023-24 के आवक लक्ष्य निर्धारित कर दिये गये है आवक लक्ष्य केवल ई-अनुज्ञा आवक के आधार पर निर्धारित किए गए है। अत: आंचलिक अधिकारी अपने संभाग अंतर्गत मंडियो में उत्पादन के आंकडे प्राप्त कर संभावित आवक (जिन्सवार) का तिमाही आधार पर विश्लेषण करें। निर्धारित लक्ष्य को भी तिमाही आधार पर विभाजित कर कार्य योजना तैयार करें। आवक लक्ष्य पूति हेतु सभी संभव प्रयास सुनिश्चित कराएं। फसलो की आवक को उत्पादन के आधार पर समीक्षा करें। जिन फसलो में उत्पादन के एवज में कम आवक मंडी में हो रही है। वहां Leakage Check करने के लिये आवश्यक उपाय करें एवं योजना बनाई जावें। गत वित्तीय वर्ष के तुलना में कम से कम 30 प्रतिशत Leakage कम करने का लक्ष्य रखे।

गत वर्ष 2022-23 में मंडियो की आवक की जिंसवार समीक्षा की गई। प्रमुख जिंसो की आवक एवं उत्पादन में तुलना की स्थिति निम्नानुसार है :-

| | | | |
|---|---|---|---|
| गेंहू | 155.88 | LMT | (44 प्रतिशत लगभग) |
| धान | 71.50 | LMT | (56 प्रतिशत लगभग) |
| सोयाबीन | 38.81 | LMT | (73 प्रतिशत लगभग) |
| मक्का | 24.61 | LMT | (55 प्रतिशत लगभग) |
| चना | 17.77 | LMT | (61 प्रतिशत लगभग) |
| मूंग-उडद | 9.55 | LMT | (40 प्रतिशत लगभग) |
| कपास | 6.16 | LMT | (76 प्रतिशत लगभग) |
| मूंगफली | 0.93 | LMT | (14 प्रतिशत लगभग) |

G
27/04/23

उक्तानुसार गेंहू एवं धान की आवक (उत्पादन के आधार पर) अपेक्षाकृत कम है। इसके साथ ही मूंगफली की आवक बहुत ही कम है। इनमें आचंलिक कार्यालय स्तर से जिंसवार समीक्षा एवं सतत् मॉनिटरिंग आवश्यक है।

अन्य आवश्यक निर्देश :-

- सभी संयुक्त संचालकों को सप्ताह में दो से तीन दिन फील्ड में निरीक्षण एवं अपने संभाग की मंडीयों में आकस्मिक जांच/मासिक विजिट किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही प्रत्येक महीने के आखिरी सप्ताह में प्रस्तावित दौरा कार्यक्रम अनुमोदन हेतु मुख्यालय को भेजा जावें तथा माह अंत में दौरा डायरी अनिवार्य रूप से मुख्यालय को भेजा जाना सुनिश्चित करें।
- व्यापारियों के द्वारा भंडारित कृषि उपज के घटत (Storage) के लिये ई-अनुज्ञा पोर्टल पर प्रावधान करने के ज्ञापन प्रस्तुत किये जाते है। इस संबंध में आंचलिक अधिकारियों से चर्चा की गई। आंचलिक अधिकारी तथा श्री वशिष्ठ अपर संचालक इस मांग के संबंध में अध्ययन कर अपने सुझाव 10 दिवस की अवधि में प्रस्तुत करें। इसमें व्यापारियों से संपर्क कर उनकी स्पष्ट मांग एवं अपेक्षित कार्यवाही भी ज्ञात की जा सकती है।
- लंबित विधान सभा आश्वासनों की पूर्ति हेतु प्रभावी कार्यवाही करें।
- मंडी समिति, सिरोंज में नवीन स्थान के लिए ए + प्रकरण का परीक्षण कर प्रतिवेदन संयुक्त संचालक को शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।
- मुख्यालय स्तर पर आयोजित समीक्षा बैठकों हेतु बनाये जाने वाले पी.पी.टी. में मंडी समिति से स्तर से प्राप्त जानकारी का समावेश हाईपरलिंक के माध्यम से करना सुनिश्चित करें।

अन्त में धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।

27/04/23

(जी.व्ही. रश्मि)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

क्रमांक/समन्वय/समीक्षा बैठक अप्रैल 2023/ | 82|                    भोपाल, दिनांक 27/04/2023

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

(1) निज सहायक प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।

(2) अपर संचालक (समस्त) म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।

(3) अधीक्षण यंत्री, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।

(4) संयुक्त संचालक/उप संचालक/कार्यपालन यंत्री, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।

(5) संयुक्त संचालक/उप संचालक/कार्यपालनयंत्री म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड ऑचलिक कार्यालय (समस्त)

(6) सचिव, कृषि उपज मंडी समिति.........................

27/04/23

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल